न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 08/2016/अपील

किशोर पुत्र मोहन, जाति मीणा, निवासी ग्राम–बराल, तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री सांवरमल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामावतार शर्मा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.12.2015 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

सत्यमेव जयते

दिनांकः 19 दिसम्बर, 2017

Web Copy - Not Official

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से बयान अंकित किया है कि पटवारी हल्का जुराठड़ा द्वारा दिनांक 21.09.2015 को ग्राम की राजनैतिक द्वेषतावश एक सर्वथा निराधार रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत की गई कि अपीलांट ने सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 387 रकबा 0.90 है. किस्म गैर मुमकिन नदी में रकबा 0.50 है. भूमि पर झोपड़ी बनाकर व पत्थरों की कच्ची चार दीवारी का निर्माण करके अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा अपीलांट को दिनांक 28.09.2015 को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 09.10.2015 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने बाबत नोटिस जारी किया गया। दिनांक 09.10.2015 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके नाम से इस न्यायालय में धारा 91 के अन्तर्गत पत्रावली विचाराधीन चल रही है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 387, 403, 405 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने स्थगन आदेश जारी कर उक्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय केवल इस आधार पर पारित किये जाने में भारी

भूल की गयी है कि खसरा नम्बर 387 व 402 मे जारी स्थगन दिनांक 08.12.2015 को वेकेट हो चुका है। जबकि स्वीकृत रूप से अपीलाधीन कार्यवाही चालू होने से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि के बाबत दुरूस्ती का मुकदमा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहा है। ऐसी स्थिति में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही मूल वाद के निर्णय तक स्थगित रखी जानी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री रामावतार शर्मा उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा अपीलाधीन निर्णय केवल इस आधार पर पारित किये जाने में भारी भूल की गयी है कि खसरा नम्बर 387 व 402 मे जारी स्थगन दिनांक 08.12.2015 को वेकेट हो चुका है। जबकि स्वीकृत रूप से अपीलाधीन कार्यवाही चालू होने से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि के बाबत दुरूस्ती का मुकदमा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही मूल वाद के निर्णय तक तक स्थगित रखी जानी चाहिए थी। अपीलांट ने सीमाज्ञान करवाये जाने बाबत अपने जवाब में निवेदन किया कि तहसीलदार सीकर ने पटवारी हल्का जुसठेड़ी व भू.अ.नि. पलासरा से जवाब में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट चाही गई थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना ही चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सबूत/साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत व मनमाना होने से निरस्तनीय है।

5. राजकीय अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन नदी भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाकर व पत्थरों की कच्ची चार दिवारी का निर्माण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट से सुनवाई व सबूत/साक्ष्य पेश करने का समुचित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवसर प्रदान कर चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(1) रिपोर्ट पटवारी हल्का जुराठड़ा दिनांक 21.09.2015 के अनुसार अपीलांट ने ग्राम बराल स्थित खसरा नम्बर 387 रकबा 0.90 है. गैर मुमकिन नदी की भूमि रकबा 0.50 है. भूमि पर झोपड़ी बनाकर व पत्थरों की कच्ची दीवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर तहसीलदार सीकर ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया, जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया है। जिससे साबित होता है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य, सबुत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

(2) अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत ना तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है और ना ही इस न्यायालय में पेश किया है, जिससे यह साबित होता हो कि अतिक्रमित भूमि पर उसका कोई हक अधिकार है।

(3) ग्राम बराल स्थित खसरा नम्बर 387 रकबा 0.90 है. भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी अंकित है। जो माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगै. के निर्णय से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, जिस पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक : 19 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official